भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 251*

दिनांक 13.03.2018/22 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए

सीमा क्षेत्रों में किसानों को सुविधाएं

†*251. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसानों को विशेषकर पंजाब सीमा क्षेत्र के किसानों को आसानी से, बाधारहित तथा कंटीले बाड़ के आगे अपने खेतों तक सुरक्षित रूप से जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं अथवा सीमा सुरक्षा बल को निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को/सरकार के किसी विभाग को कंटीले बाड़ के उस पार आवारा पशुओं द्वारा फसलों को बर्बाद किए जाने के संबंध में कोई सूचना/शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस समस्या के समाधान के लिए सरकार/विभाग ने सीमा सुरक्षा बल/किसानों को कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 13.03.2018 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 251 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सीमा सुरक्षा बाड़ के आगे कृषि योग्य भूमि वाले किसानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के निपटान के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित की गई है। एसओपी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) सीमा बाड़ के गेटों के खुलने/बंद होने के समय का निर्धारण स्थानीय किसानों, ग्राम प्रधानों तथा राजस्व अधिकारियों के साथ परामर्श से किया जाता है।

(ii) बीएसएफ ने किसानों को पहचान पत्र जारी किए हैं।

(iii) कृषि हेतु बाड़ से आगे जाने वाली महिलाओं की तलाशी महिला कांस्टेबलों द्वारा ली जाती है।

(iv) बाड़ के गेटों पर सुरक्षा के अलावा बीएसएफ सीमा बाड़ के आगे जाने वाले किसानों को सशस्त्र सुरक्षा उपलब्ध कराता है।

(v) मजदूरों को भी पुलिस सत्यापन के पश्चात सीमा बाड़ से आगे जाने दिया जाता है।

(vi) टैक्टरों/ट्रालियों जैसी कृषि मशीनरी तथा उपकरणों को भी सुरक्षा जांच के पश्चात कृषि हेतु बाड़ से आगे जाने दिया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, बीएसएफ के फील्ड अधिकारी स्थानीय ग्रामीणों/किसानों से नियमित रूप से विचार-विमर्श करते हैं, ताकि यदि उनके कोई मुद्दे हों, तो उनका समाधान किया जा सके।

(ग): ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ): प्रश्न नहीं उठते।

*****